

गई थी लेकिन अब उसको बड़ा कर दो साल के लिए कर दिया गया है। इस मुद्दे को ले कर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया और निर्देश दिया कि जो ग्रंथवाई नियुक्तियां जनरल कास्ट के लोगों को दी गई हैं इनको शीघ्र खत्म करते हुए शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इन पदों पर नियुक्तियां की जाए। हाई कोर्ट के निर्देशों को 6 महीने हो गये हैं लेकिन राजस्थान सरकार का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, प्रशासन का ध्यान शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की ओर नहीं है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट केन्द्रीय सरकार से मिलती है उस ग्रांट को तभी इश्यु करें जब वह केन्द्रीय सरकार की शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो नीति है उसको पूरी तरह से लागू करें। (समय की घंटी) थैंक यू।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, यह सामाजिक न्याय का मामला है इसलिए आपकी तरफ से यह निर्देश होना चाहिए कि इसको वह लागू करें क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यह बहुत अशोभनीय बात है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आप केन्द्र सरकार को निर्देश करें कि वह राज्य सरकार को लिखें कि इसका पालन होना चाहिये।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, वह अकेले राजस्थान का सवाल नहीं है, सारे देश में कालेजों और यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी और कालेज आरक्षण नहीं देती हैं उनकी ग्रांट और रिकोगनिशन खत्म की जानी चाहिये।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the Special Mention made by Mr. Moolchand Meena. I would like to add just one point. The

services of some of the university lecturers have been regularised purposely by the Vice-Chancellors of various universities, with the result, they are denied promotions. Similarly, in Government services also there is a hostile attitude on the part of the administration in giving time-bound promotions to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people according to the criteria fixed by the Government of India. Mostly the officers belonging to the Scheduled Caste and Schedule Tribe category are kept on *ad hoc* basis so that even after 8-9 years they do not become entitled to promotions. Therefore, the Government should take steps to see that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are not treated like this. They should be made permanent and given timely promotion as per the criteria fixed by the Government of India.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): It is a very serious matter. I hope the Ministers present here will convey the feelings of the House to the Minister concerned.

Difficulties being faced by small newspapers on accounts of New Policy of Government re allocation of newsprint

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I want to make a special mention on the allocation of newsprint to various papers. A new policy is now being adopted by the Registrar of Newspapers. It is creating a lot of trouble for small newspapers, like 'Prajasaki', our party daily of which I am the editor. Advance quota is cancelled. It was there earlier, but now it is not there. Getting through instalments with small investment is also gone. When we applied for 1992-93 quota, the Registrar of Newspapers office took three months to fix the quota of allotment for only 6 months. The facility of getting through STC in small quantities is not there. Now we are forced to import directly for six months at a stretch. That would take another three months. Meanwhile we are to run the paper by purchasing newsprint from private market at a high cost. All this pro-

cess is creating a lot of difficulties. It suits well the big papers and newsprint barons, but not the small newspapers. So, as it is, we are suffering. This new policy has created many more problems and hurdles for us. I urge upon the Government to immediately change this method and restore old method in regard to giving advance quota and giving it through STC. Otherwise, you find some alternative through which it is possible for us to get small quantities. I urge upon the Government to immediately look into the matter and help the small newspapers.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): I associate myself with this.

श्रीसती तराई माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी इसके साथ अपने आपकी सम्बद्ध करती हूँ। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (अवधान) सरकार को इसको गम्भीरता में लेना चाहिए।

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA (Uttar Pradesh): I associate myself with this. This should be considered as an attack on the freedom of newspapers. The small newspapers should be helped as the new newsprint policy is affecting the small papers. Like Shri Ram Naresh Yadav, I would also request you to direct the Government to take note of this.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं भी इससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह लोकतन्त्र के ऊपर जबरदस्त प्रहार है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I hope the Government will take note of the issue raised by the hon. Members.

Dilapidated condition of the bridge over the river Kali nadi

बौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, बलदशहर नगर के बीच में से एक बड़ी पुरानी नदी बहती है जिसका बहुत हो विराट और विकराल रूप होता है। बरसात में खास करके उसकी जो लहरें उठती हैं, जो बाढ़ आती है उससे बड़े दूर दूर तक के एरिया चपेट में आ

जाते हैं। उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है जिसकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा हो चुकी है और एक्सपर्ट्स ने, इंजीनियर्स ने, उत्तर प्रदेश के सारे जो पुल निर्माता हैं जो एक्सपर्ट विज्ञेय हैं उन्होंने राय दे दी है कि यह पुल अब ट्रफिक के लायक नहीं है।

इसको तोड़ देना चाहिए और इस पर ट्रैफिक का आना-जाना, आदमियों और गाड़ियों का बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इसके लिए भारत सरकार ने लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों रुपया मंजूर किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि अब यह पुल बिल्कुल जर्जर हो गया है और आजकल जिनके अंदर बड़ी बाढ़ आई हुई है।

अगर यह पुल टूट गया, तो सारे शहर के अंदर पानी भर जाएगा और इसमें प्रलय मच जाएगी, सारा शहर वह जाएगा करोड़ों रुपए की संपत्ति जन-जीवन बिल्कुल नर्बाद हो जाएगा, प्रापर्टी, खेल-व्यवस्थान सब तबाह हो जायेंगे, स्कूल-कॉलेज नष्ट हो जायेंगे।

यह जो आपका पुल है, इसके बनाए जाने की बाकायदा दिशि रख दी गई थी इसका काम शुरू होने वाला था, लेकिन मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार इसके निर्माण के लिए खर्चा नहीं दे रही है। इसलिए इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है।

इस पुल का बनाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जिले के तीन-चार हिस्से एकदम जुड़ते हैं। अगर पुल टूट गया तो बिल्कुल कचहरी का और सब काम ठप्प हो जाएगा। और शासन चल नहीं पायेगा—ऐसी हालात इस पुल को लेकर के हो गई है।

तो, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सारे एक्सपर्ट्स की राय होने के बावजूद पुल का खुला रखना खतरे से खाली नहीं है, और किसी भी दिन यह टूट सकता है। (घटी) मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की आदेश दें कि इसकी